MOST IMPORTANT
OUT - TODAY

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः साशा/2020/ 30671 दिनांक :- 26 मार्च, 2020

:: आदेश ::

वर्तमान में सम्पूर्ण राज्य में कोरोना वॉयरस COVED-19 के संक्रमण के दृष्टिगत राज्य सरकार से प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संक्रमण से बचाव नियंत्रण हेतु सम्पूर्ण जिले में जन साधारण की सुरक्षा के मध्यनजर कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा भी लागू की जा चुकी हैं।

इस क्रम में जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा उक्त संक्रमित कोरोना वॉयरस COVED-19 से बचाव के मध्यनजर जिले में व्यापक स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस संबंध में किसी प्रकार की सूचना की आवश्यकता होने अथवा राज्य सरकार/उच्चाधिकारियों को समय–समय पर आपके दायित्वाधीन एवं विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की महत्ती आवश्यकता होने पर सूचना संकलन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं, जिससे सूचना समय पर प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पाता हैं।

अतः इस संबंध में जिले के समस्त प्रशासनिक, पुलिस एवं जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों (विशेषतः चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, रसद विभाग, नगर विकास न्यास, नगर परिषद, परिवहन विभाग, वन विभाग, कृषि उपज मण्डी समिति, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, उपभोक्ता भण्ड़ार आदि) को निर्देश जाते है कि **अपने–अपने कार्यालय में आज से ही 24 x 7 के अनुसार जिम्मेदार अधिकारियों/कार्मिकों को रोटेशन नियुक्ति कर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावें,** यदि कार्यालय में कार्मिकों का अभाव हो तो इस संबंध में जिला प्रशासन से आवश्यक सहयोग लिया जावें।

उक्तानुसार स्थापित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर, नियंत्रण कक्ष प्रभारी एवं रोटेशन से नियुक्त कार्मिकों की सूचना/आदेश की प्रति जिला कलक्टर कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष दूरभाष नंबर 01482–233030, 232626, इस कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा को तत्काल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

पत्र को सर्वोच्य प्राथमिकता दी जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
2. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन/शहर) भीलवाड़ा
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
4. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
5. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण, भीलवाड़ा
6. समस्त उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, जिला–भीलवाड़ा
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
8. सर्व संबंधित ....
9. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर
   को प्रेषित हैं।

जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा